राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 / 2/6 / 2024 दिनांकः–09 फरवरी, 2024

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय,
संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ।

विषयः–नार्को कोआर्डिनेशन मैकेनिज्म सेंटर के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2023 की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.11.2023 के कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–03, उ0प्र0 शासन, द्वारा निर्गत पत्र संख्या 295 / सत्तर–3–2024 दिनांक 09.02.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0 उ0प्र0 के संलग्न पत्र संख्या DG-VII-ANTF (NCORD MEETING)20222 / 08(3) दिनांक 31.01.2024 की छाया प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस उपमहानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

डा0(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ / आगरा।
4. अधिकृत एजेंसी को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिंन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय बेवसाइट पर अपलोड करें।
5. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित, कि इसे छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

9.2.24

उप कुलसचिव

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–295 / सत्तर–3–2024

प्रेषक,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 09 फरवरी, 2024

विषय :नार्को को आर्डिनेशन मैकेनिज्म सेंटर के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2023 की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.11.2023 के कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2023 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3385 / सत्तर–3–2023, दिनांक 13.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नार्को कार्डिनेशन मैकेनिज्म सेन्टर (NCORD) के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 शासन में सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.11.2023 के कार्यवृत्त संख्या–डीजी–सात–एन्कार्ड बैठक(राज्य स्त0)2023, दिनांक 02.12.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उसकी अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु सूचना अप्राप्त है।

2– इस सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0 उ0प्र0 के पत्र संख्या–DG-VII-ANTF (NCORD MEETING)2022/08(3), दिनांक 31.01.2024 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यवृत्त संख्या–डीजी–सात–एन्कार्ड बैठक(राज्य स्त0)2023, दिनांक 02.12.2023 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या दिनांक 10.02.2024 तक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 को साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

8/2/24

(डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या - 295 / [illegible] 24

प्रमुख सचिव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 02/2/24

संख्या 4065 /VIPPSHED/2023

अनुस्मारक-प्रथम

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

तृतीय तल (टावर 01), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

पत्रसंख्या:DG-VII-ANTF (NCORD MEETING)/2022/08(3) दिनांक- जनवरी ,2024

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव, एफएसडीए, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
4- अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश।
8- उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उत्तर प्रदेश।
9- डीआईजी आरपीएफ, उत्तर प्रदेश।
10-स्टेट ड्रग कंट्रोलर/फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन, उत्तर प्रदेश।
11-निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।

विषयः एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-24.11.2023 के कार्यवृत्त दिनांक-02.12.2023 की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2023 की चतुर्थ बैठक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में दिनांक-24.11.2023 को सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक-02.12.2023 का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय की ई-मेल आईडी-ig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, जो अभी तक अप्राप्त है।

2. अतः अनुरोध है कि उक्त बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या ANTF की ई-मेल आईडी- ig-antf.lu@up.gov.in पर अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि। DS(SPM) 80-3

N.-4749 / VS(A)/ 1.2.24

(अब्दुल हमीद) 31/01/24
पुलिस महानिरीक्षक,
ए0एन0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश।

3/02/24
(अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(आर० पी० चौधरी)
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग

प्रतिलिपिः-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

तृतीय तल (टावर 01), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

पत्रसंख्याःDG-VII-ANTF (NCORD MEETING)/2022/08(2) दिनांक- दिसम्बर, 02 2023

सेवा में,

1-प्रमुख सचिव,गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश।

2-अपर मुख्य सचिव, एफएसडीए,
उत्तर प्रदेश।

3-अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश।

4- प्रमुख सचिव,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश

5-प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश।

6- अपर मुख्य सचिव, वन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

7- अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश

8-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

9- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/
बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

10-आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

11-ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई,
उत्तर प्रदेश।

12-उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन,
उत्तर प्रदेश।

13- डीआईजी आरपीएफ,
उत्तर प्रदेश।

14-चीफ पोस्ट मास्टर जनरल,भारतीय डाक,
उत्तर प्रदेश।

15- स्टेट ड्रग कंट्रोलर/ फूड सेफ्टी एण्ड
ड्रग एडमिनिशट्रेशन,उत्तर प्रदेश।

16-निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
उत्तर प्रदेश।

17- ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ
बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/ एसएसबी, लखनऊ

18-ज्यूरिसडिक्शनल डीडीज़ी, एनसीबी,
उत्तर प्रदेश।

19-क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी,
उत्तर प्रदेश।

20-अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी),
उत्तर प्रदेश।

21-संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशाल (ईडी),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः दिनांक-24.11.2023 को आयोजित NCORD की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृत्त दिनांक-02.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया **राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2023 की चतुर्थ बैठक** मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में **दिनांक- 24.11.2023** को सम्पन्न हुई थी , जिसका कार्यवृत्त दिनांक-02.12.2023 इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. अतः अनुरोध है कि उक्त बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या ANTF की ई-मेल आईडी – ig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(अब्दुल हमीद)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
ए0एन0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन को सादर सूचनार्थ।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नार्को को–आर्डिनेशन सेन्टर(NCORD) के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2023 की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.11.2023 का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्रीमती अनीता सिंह अपर मुख्य सचिव, एफ0एस0डी0ए0 उ0प्र0 शासन।
2. डॉ0 हरिओम, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. श्री रंजन कुमार, सचिव स्वास्थ्य उ0प्र0 शासन।
4. श्री राजशेखर, सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन।
5. श्री एस0के0 भगत, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0।
6. श्री सेंथिल पांडियन सी., आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।
7. श्री दिनेश सिंह, एडीजी, डी0आर0आई0, उ0प्र0।
8. श्री अब्दुल हमीद, पुलिस उपमहानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0।
9. श्री डी0पी0 गिरि, विशेष सचिव आबकारी, उ0प्र0 शासन।
10. श्री गिरजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
11. श्री राजेश कुमार राय, विशेष सचिव गृह, उ0प्र0 शासन।
12. श्री कृष्ण कुमार गुप्त, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।
13. श्री कमल कान्त, पुलिस उपमहानिरीक्षक, एस0एस0बी0 लखनऊ।
14. श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, जोनल डायरेक्टर, एन0सी0बी0, लखनऊ।
15. श्री करूण बिलग्रामी, अधीक्षक, सी0बी0एन0, लखनऊ।
16. श्री कृष्णा प्रसाद, उपनिदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ।
17. श्री सुशील कुमार तिवारी, सी0पी0एम0जी0,जीपीओ, लखनऊ।
18. श्री डॉ0 अजय कृष्ण उपकृषि निदेशक, कृषि भवन लखनऊ।
19. श्री डॉ0 सुधीर कुमार, प्रभारी निदेशक, एफ0एस0एल0 लखनऊ।
20. श्री डॉ0 मनोज कुमार वर्मा, एस0एस0ए0, एफ0एस0एल0 लखनऊ।
21. श्री शिवजी सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर, एस0आई0बी0 लखनऊ।
22. श्री गोविन्द कुमार, डिप्टी कमाण्डेंट, एस0एस0बी0 लखनऊ।
23. श्री शनमुगा वाडिल एस0, वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ मुरादाबाद।
24. श्री रामलोटन राजवंशी, राज्य मद्य निषेध अधिकारी उ0प्र0।

राज्य स्तरीय समिति के सदस्य संयोजक पुलिस उपमहानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ श्री अब्दुल हमीद द्वारा सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर उपस्थित सभी उच्चाधिकारियों का स्वागत करते हुए पूर्व राज्य स्तरीय समिति की बैठक के निर्देशों का अनुपालन विभागवार प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–

दिनांक 28.07.2023 को मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की पूर्व बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन–:

(i) निर्देशानुसार जिला स्तरीय एनकार्ड समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। वर्ष 2023 में दिनांक–21.11.2023 तक 451 बैठकों का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा 05 से कम बैठके आयोजित की गयी हैं उनको अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाए। आगामी मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जिलाधिकारियों की बैठक में ऐसे जनपदों के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण देने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–ANTF)

(ii) आपसी समन्वय बेहतर करते हुये प्रदेश स्तर पर कुल–54866.91 किलोग्राम के मादक पदार्थो की बरामदगी करते हुये 7335 अभियोग पंजीकृत हुये जिनमें कुल 9174 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी। वर्ष 2020 की तुलना में यह 18.03 प्रतिशत अधिक है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2022 को आधार मानते हुये कार्यवाही कम होना बताया गया तथा कार्यो की जोनवार समीक्षा करते हुए आगरा जोन, प्रयागराज जोन तथा आगरा कमिश्नरेट द्वारा कृत कार्यवाही वर्ष 2022 के सापेक्ष

काफी कम होने पर निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित जोन/कमिश्नरेट से पत्राचार/वार्ता और समय–समय पर विशेष अभियान चलाकर अधिक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कि जाएं।

(कार्यवाही–गृह विभाग/ANTF)

(iii) एएनटीएफ द्वारा वर्ष–2023 में अब तक 9321.05 किलोग्राम(अनुमानित मूल्य–59 करोड 22 लाख 50 हजार) मादक पदार्थो की बरामदगी करते हुये 65 अभियोग पंजीकृत कराये गये। जिनमें गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या–177 है। एएनटीएफ द्वारा जनपद आगरा में 02 व बरेली में 01 अवैध मादक पदार्थो के कारखानों का ध्वस्तीकरण कराया गया तथा एनडीपीएस की धारा–68 (ई) व (एफ) के अन्तर्गत जनपद हापुड़ व मथुरा में एक–एक अभियुक्त के विरूद्ध सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही भी करायी गयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा एएनटीएफ के कार्यो की प्रशंसा करते हुये प्रदेश में अवैध मादक पदार्थो के विरूद्ध अधिकाधिक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

(कार्यवाही–ANTF)

(iv) निर्देशानुसार दिनांक 25 सितंबर से 02 अक्टूबर के मध्य नशा–मुक्ति जागरूकता अभियान के अन्तर्गत एएनटीएफ, एनसीबी, आबकारी विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग व जनपदीय पुलिस द्वारा आपसी समन्वय से स्कूल, कालेज एवं शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम व शपथ, बाईक रैली, डाक्यूमेन्ट्री/चलचित्र प्रदर्शन, गोष्ठिया, होर्डिंग, इत्यादि के द्वारा प्रचार–प्रसार कराया गया। अलग–अलग धर्मो के आचार्यो से सम्पर्क कर नशा–मुक्ति हेतु प्रचार किये जाने की अपील की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नशे के विरूद्ध स्कूल/कालेज एवं शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यकम, प्रचार–प्रसार किसी निश्चित अवधि के अतिरिक्त वर्ष में त्रैमासिक रूप से नियमित संचालित कराये जाएं।

(कार्यवाही–समाज कल्याण /आबकारी/ NCB/ANTF व सम्बन्धित विभाग)

(v) शासन के पत्र संख्या–3069/छः–पु0–9–23–31 (133)/2019 दिनांक–28.07.2023 द्वारा प्रत्येक जनपद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम तथा उनकी अनुपस्थिति में कनिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के अपराधों पर विचारण करने हेतु सशक्त करते हुये अभिहित किये जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। इन न्यायालयों द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों की सुनवायी भी की जाती है। अतः शीर्ष 10 जिलों जहां एनडीपीएस के सर्वाधिक मामले लम्बित है, प्रथमतः इन 10 जनपदों के एनडीपीएस एक्ट के लंबित मुकदमों की सुनवाई हेतु विशेष सत्र न्यायालय अधिकृत किये जाने हेतु न्याय विभाग/रजिस्टार जनरल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को गृह विभाग के स्तर से पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–गृह विभाग/ ANTF)

(vi) निर्देशानुसार मादक पदार्थो के डिस्पोजल/निस्तारण की कार्यवाही खुले वातावरण में न करके जनपदों के मेडिकल कालेज/सीएमओ कार्यालय से सम्पर्क कर वहॉ स्थापित इंसीनरेटर के माध्यम से कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है। एनसीबी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा मोहनलालगंज लखनऊ में स्थापित वाटरगेट के इंसीनरेटर के माध्यम से मादक पदार्थो के डिस्पोजल/निस्तारण की कार्यवाही की जाती है।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित ड्रग लॉ इन्फोर्समेण्ट एजेंसीज)

(vii) जनपद गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ में आबकारी विभाग की प्रयोगशालाओं को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में गृह विभाग के अन्तर्गत संचालित फोरेसिंक लैब व आबकारी विभाग की लैब दोनों को क्लब करने के अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध द्वारा दिये गये सुझाव पर आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि आबकारी विभाग की प्रयोगशालायें लिकर की जॉच हेतु सक्षम है तथा इन्हें मादक पदार्थो की जॉच के सम्बन्ध में उच्चीकृत किये जाने हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था। उपरोक्त संबंध में आबकारी विभाग की प्रयोगशालाओं के स्थान पर गृह विभाग के अधीन संचालित फोरेसिंक लैब को उच्चीकृत किये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। बताया गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद, गोरखपुर हेतु अत्याधुनिक विशिष्ट उपकरणों का सुविचारित प्रस्ताव एएनटीएफ/एनसीबी के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है जिसको एनसीबी द्वारा फॉलो–अप किये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– गृह विभाग/एनसीबी/एएनटीएफ)

01/11/23

(viii) सी0बी0एन0 द्वारा बताया गया कि अफीम काश्त हेतु लाइसेंस जारी किये जाते हैं तथा सैटेलाइट से अफीम काश्त का सर्वे किया जा सकता है। वैध खेती को चिन्हित करने हेतु सभी कृषकों के प्लाट का शत प्रतिशत सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि प्रदेश में फसल का सर्वे किये जाने की तकनीक के माध्यम से वर्तमान रबी–फसल का डिजिटल सर्वे कराया गया है, जिसका डाटा कृषि विभाग के पास उपलब्ध है। सीबीएन द्वारा कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर उपलब्ध डाटा प्राप्त किया जा सकता है। अफीम पोस्त की फसल का डिजिटल सर्वे डाटा यदि कृषि विभाग के पास उपलब्ध न हो तो अफीम पोश्त की फसल को अपने सर्वे में सम्मिलित करते हुए डिजिटल सर्वे कृषि विभाग द्वारा सीबीएन से समन्वय कर कराने एवं सम्बन्धित के साथ डाटा साझा करने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव, कृषि को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– CBN/कृषि विभाग)

(ix) आपसी समन्वय बेहतर करते हुये प्रवर्तन कार्यवाही के माध्यम से 01 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य एफ0एस0डी0ए0 द्वारा 30 कार्यवाहियों में 48 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करते हुये लगभग 84 लाख रूपयें मूल्य की स्वापक एवं मन:प्रभावी औषधिया जब्त की गयीं, जो गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है। अपर मुख्य सचिव, एफ0एस0डी0ए0 द्वारा बताया गया कि कोडिन युक्त कफ सिरप के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की गयी है जिसके परिणाम स्वरूप स्टॉकिस्ट/रिटेलर की ब्रिकी पहले से आधी हो गयी है। इन पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों तथा ड्रग इंस्पेक्टरों की भूमिका के संबंध में भी जॉच करायी जा रही है, जिसके परिणाम से शीघ्र ही अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जाएगा।

(x) अपर मुख्य सचिव, एफ0एस0डी0ए0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में कतिपय स्थानों पर नवयुवक प्रायः सायं के समय एकत्र होकर मादक पदार्थो का सेवन करते है, ऐसे हॉट–स्पॉट्स को चिन्हित कर नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ऐसे हॉट–स्पॉट्स चिन्हित कर अवैध मादक पदार्थो के सेवन/कय–विकय करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करायी जांए।

(कार्यवाही– FSDA/जनपदीय पुलिस/एएनटीएफ)

(xi) मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, जी0पी0ओ0 लखनऊ द्वारा बताया गया कि डाक विभाग द्वारा पार्सल बुकिंग के समय सतर्कता बरततें हुये अवैध मादक पदार्थो के परिवहन के संबंध में जॉच की जाती है तथा अभी तक कोई प्रकरण प्रकाश में नही आया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमित रूप से जॉच कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–डाक विभाग)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अब्दुल हमीद) 02/12/23
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,

तृतीय तल(टावर–1), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, लखनऊ–226002

संख्या:डीजी–सात–एन्कार्ड बैठक(राज्य स्त0)2023 दिनांक:नवम्बर 02, 2023

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

O/C
28/11/23

4. अपर मुख्य सचिव, एफ0एस0डी0ए0 उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0
6. प्रमुख सचिव, स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग उ0प्र0।
9. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0।
10. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश।
14. उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उ0प्र0, लखनऊ।
15. डीआईजी, आरपीएफ, उ0प्र0, लखनऊ।
16. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक, उ0प्र0।
17. स्टेट ड्रग कंट्रोलर/फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन, उ0प्र0।
18. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0।
19. ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/एसएसबी, लखनऊ।
20. ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी, उत्तर प्रदेश।
21. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, उ0प्र0, लखनऊ।
22. अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी), उ0प्र0।
23. संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), उ0प्र0, लखनऊ।